न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—माँगीलाल आर.ए.एस.(प्रशिक्षु)
प्रकरण संख्याः—133 / 2019
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः—88 आरटीए

1. अजय कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति सुथार निवासी 6 एनटीडब्ल्यू नाथवाना तहसील संगरिया।
2. विजय कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति सुथार निवासी 6 एनटीडब्ल्यू नाथवाना तहसील संगरिया।
3. आर्यन पुत्र महावीर प्रसाद जाति सुथार निवासी 6 एनटीडब्ल्यू नाथवाना तहसील संगरिया।
4. सुनील कुमार पुत्र प्रेम कुमार जाति सुथार निवासी 6 एनटीडब्ल्यू नाथवाना तहसील संगरिया।

—वादीगण

बनाम

1. फूसाराम पुत्र गंगाराम जाति सुथार निवासी 6 एनटीडब्ल्यू नाथवाना तहसील संगरिया।
2. सावित्री देवी पत्नी फूसाराम जाति सुथार निवासी 6 एनटीडब्ल्यू नाथवाना तहसील संगरिया।
3. राजेन्द्र कुमार पुत्र फूसाराम जाति सुथार निवासी 6 एनटीडब्ल्यू नाथवाना तहसील संगरिया।
4. महावीर पुत्र फूसाराम जाति सुथार निवासी 6 एनटीडब्ल्यू नाथवाना तहसील संगरिया।
5. प्रेम कुमार पुत्र फूसाराम जाति सुथार निवासी 6 एनटीडब्ल्यू नाथवाना तहसील संगरिया।
6. सुषमा पुत्री राजेन्द्र कुमार जाति सुथार निवासी 6 एनटीडब्ल्यू नाथवाना तहसील संगरिया।
7. ममता पत्नी ऋषभदेव जाति सुथार निवासी पण्डितांवाली तहसील पीलीबंगा।
8. सुमन पत्नी नरेन्द्र कुमार जाति सुथार निवासी वार्ड नं. 6 रावतसर तहसील रावतसर।
9. प्रियंका पत्नी सुशील कुमार जाति सुथार निवासी चोहिलांवाली तहसील हनुमानगढ़।
10. भारतीय स्टेट बैंक शाखा संगरिया जरिये शाखा प्रबन्धक
11. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1. श्री प्रेमचन्द भारद्वाज — वकील वादीगण
2. श्री विनोद कुमार शर्मा—अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 9

निर्णय दिनांक :—

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 9 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के पिता फूसाराम तथा वादी संख्या 1 व 2 के पिता राजेन्द्र कुमार तथा वादी संख्या 3 के पिता प्रतिवादी संख्या 4 महावीर के तथा वादी संख्या 4 के पिता प्रतिवादी संख्या 5 प्रेमकुमार के नाम से तहसील संगरिया के चक नं. 6 एनटीडब्ल्यू के खाता संख्या 38 / 31 जमाबन्दी सम्वत् 2069—72 में कुल 9.109 है. मय गैर मुमकिन कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसकी नकल प्रति जमाबन्दी संलग्न वादपत्र है जो वाद का आधार है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा संयुक्त परिवार में रहते है। वंशावली वादपत्र में वर्णितानुसार है।

हम वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का तहसील संगरिया के चक नं. 6 एनटीडब्ल्यू के खाता संख्या 38 / 31 जमाबन्दी सम्वत् 2069—72 में कुल 9.109 है. मय गैर मुमकिन कृषि भूमि में वादीगण का विरास्तन एवं पैतृक हक व हिस्सा बनता है। वादी संख्या 1 व 2 को अपने दादा प्रतिवादी संख्या 1 फूसाराम की दर्ज 2.277 है.कृषि भूमि में से 0.759 है. कृषि

भूमि बहिब प्रत्येक तथा प्रतिवादी संख्या 3 राजेन्द्र कुमार के नाम से दर्ज 2.277 है. कृषि भूमि में से वादी संख्या 1 अजय कुमार व वादी संख्या 2 विजय कुमार की 1.265 है. कृषि भूमि बहिब का हक व हिस्सा बनता है तथा वादी संख्या 3 आर्यन का प्रतिवादी संख्या 1 फूसाराम की दर्ज 2.277 है. कृषि भूमि में से 0.759 है. कृषि भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 4 महावीर प्रसाद की दर्ज 2.277 है. कृषि भूमि में से 0.759 है. कृषि भूमि का हक व हिस्सा बनता है। उसी प्रकार वादी संख्या 4 सुनील कुमार का प्रतिवादी संख्या 1 फूसाराम के नाम से दर्ज 2.277 है. कृषि भूमि में से 0.759 है. कृषि भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 5 प्रेमकुमार के नाम से 2.277 है. कृषि भूमि में से 0.759 है. कृषि भूमि पर हक व हिस्सा है,इस प्रकार वादी संख्या 1 व 2 अपने दादा फूसाराम की 2.277 है. कृषि भूमि में से वादी संख्या 1 अजय कुमार व वादी संख्या 2 विजय कुमार 0.759 है. कृषि भूमि बहिब तथा प्रतिवादी संख्या 3 राजेन्द्र कुमार की दर्ज 2.277 है. कृषि भूमि में 1.265 है. कृषि भूमि 1/2 हिस्सा बहिब प्रत्येक का हक बनता है तथा वादी संख्या 3 आर्यन का अपने दादा प्रतिवादी संख्या 1 फूसाराम की दर्ज 2.277 है. कृषि भूमि में से 0.759 है. कृषि भूमि अपने पिता प्रतिवादी संख्या 4 महावीर प्रसाद की दर्ज 2.277 है. कृषि भूमि में से 0.759 है. कृषि भूमि कुल 1.518 है. कृषि भूमि का विरास्तन हक बनता है तथा वादी संख्या 4 सुनील कुमार का प्रतिवादी संख्या 1 फूसाराम की दर्ज 2.277 है. कृषि भूमि में 0.759 है. कृषि भूमि व अपने पिता प्रतिवादी संख्या 5 प्रेम कुमार के नाम से दर्ज 2.277 है. कृषि भूमि में से 0.759 है. कृषि भूमि कुल 1.518 है. कृषि भूमि का विरास्तन हक व हिस्सा बनता है।

वादी संख्या 1 व 2 अजय कुमार व विजय कुमार का 2.024 है. में से 1/2 हिस्सा बहिब व वादी संख्या 3 आर्यन 1.518 है. कृषि भूमि व वादी संख्या 4 सुनील कुमार 1.518 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपस में घराघरू बंटवारा हो गया है तथा घराघरू बंटवारा अनुसार हम अपनी कृषि भूमि पर काश्त कर रहे है तथा प्रवितादी संख्या 1 व 2 काफी वृद्व है तथा अस्वस्थ है,इसलिये अपनी कृषि भूमि नहीं रखना चाहते है तथा अपनी कृषि भूमि वादीगण को बंटवारा में दे दी है। प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 भी अपनी विरास्तन कृषि भूमि में से हक नहीं लेना चाहती है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 ने अपने हक को वादीगण के पक्ष में परित्याग कर दिया है।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 को वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि में से वादपत्र की चरण संख्या 4 व 5 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करवाने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 पहले तो टाल मटोल करते रहे किन्तु दावा दायरी से एक सप्ताह पूर्व ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार हो गये। बस यही वादकारण है।

उक्त वादपत्र पेश होने पर तथा सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 व 9 ने वादीगण के साथ अपना राजीनामा पेश किया जिसके साथ अपनी–अपनी आईडी की स्वहस्ताक्षरित चित्र प्रतियां पेश की है। मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किये जाने में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 ने सहमति व्यक्त की। पैरोकार राज प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से जवाब स्टेट पेश हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील वादी ने प्रार्थना–पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पेश किया जिसकी प्रति वकील प्रतिवादी को दी गई ,वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना–पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का जवाब पेश न कर अनापति जाहिर की । वकील प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना–पत्र पर अनापति जाहिर किये जाने पर प्रार्थना–पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी स्वीकृत किया गया। प्रतिवादी संख्या 10 का समम्न स्वयं को तलबी होकर प्राप्त हुआ, बावजूद तलबी के उपस्थित नहीं आने पर बैंक के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा होने के कारण साक्ष्य वादी व व साक्ष्य प्रतिवादी नही करवाया गया। वकील वादी ने फार्म नं. 3 के साथ सरपंच ग्राम पंचायत नाथवना से जारी वारिसनामा फूसाराम पुत्र गंगाराम,राजेन्द्र कुमार पुत्र फूसाराम,प्रेम कुमार पुत्र फूसाराम,महावीर पुत्र फूसाराम मूल ही पेश किया है साथ में पैतृक सम्पति का साक्ष्य प्रतिवादी संख्या 1 फूसाराम के पिता गंगाराम के फौत होने पर विरास्तन रकबा चक नं. 6 एनटीडब्ल्यू के खाता संख्या 55/52,खाता संख्या 42/49,33/28 जमाबन्दी सम्वत् 2061 –64, की प्रतियां पेश की है। मुताबिक जमाबन्दी रकबा पैतृक सम्पति है तथा नकल डिक्री जो फूसाराम ने अपने नाम से रकबा करवाया उसकी प्रति भी पेश की है।

वकील वादीगण ने चक नं. 6 एनटीडब्ल्यू के खाता संख्या 38/31 जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 प्रदर्श–1,विरास्तन जमाबन्दी चक नं.6 एनटीडब्ल्यू खाता संख्या 55/52, 42/49, 33/28 जमाबन्दी सम्वत् 2061–64 क्रमशः प्रदर्श 2–3–4, वारिसनामा प्रतिवादी संख्या 1 फूसाराम प्रदर्श–5,राजेन्द्रकुमर प्रदर्श–6,प्रेम कुमार प्रदर्श–7,महावीर प्रदर्श–8 व राजीनामा प्रदर्श–9 करवाये गये। प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी फूसाराम के नाम का समस्त हिस्सा हस्तान्तरित हो रहा है। कृषि भूमि के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के पास एक ढ़ाणी तथा ग्राम नाथवाना की आबादी में पुश्तैनी मकान है,ग्राम नाथवाना का मकान प्रतिवादी संख्या 1 फूसाराम के हिस्सा में आया है जिसका शपथ–पत्र प्रतिवादीगण संख्या3–4–5 राजेन्द्र कुमार,महावीर प्रसाद,प्रेमकुमार पिसरान फूसाराम ने सहमति का पेश किया है । इसके अलावा प्रतिवादीगण संख्या 3–4–5 के पत्नी शारदा देवी पत्नी राजेन्द्र कुमार,श्योपती पत्नी महावीर प्रसाद,सीमा पत्नी प्रेम कुमार द्वारा सहमति का हल्फनामा मय आईडी की चित्र प्रतियों के पेश किया है जिन्हे शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि सरपंच ग्राम नाथ्वाना से जारी वारिसनामा अनुसार वादपत्र में पक्षकार संयोजित किये गये है। साथ में यह कथन भी किया कि वादगत आराजी प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीगण का दादा है को उनके पिता गंगाराम पुत्र बींझाराम से विरास्तन प्राप्त हुई जिसकी जमाबन्दी की प्रतियां पेश की है जिससे उक्त वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित है जिसमें वादीगण का विरास्तन हक व हिस्सा बनता है। उक्त चक नं. 6 एनटीडब्ल्यू की आराजी में से वादीगण अपने हक हिस्सा अनुसार नाम से करवाना चाहते है तथा चक नं. 6 एनटीडब्ल्यू की आराजी मुताबिक अनुतोष अपने–अपने नाम करवाना चाहते है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन कर शेष हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम से यथावत रखे जाने का निवेदन किया है। बहस में यह भी कथन किया कि वादगत आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किया जावे।

बहस विद्वान अधिवक्ता पर मनन किया गया व दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। वादपत्र में वर्णित पक्षकार सरपंच ग्राम पंचायत नाथवाना से जारी वारिसनामा के आधार पर संयोजित किये है तथा पक्षकारों में आपस में राजीनामा हो गया है। प्रतिवादी संख्या 2–6–7–8–9 ने अपना–अपना हिस्सा वादीगण के पक्ष में तर्क कर दिया है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादगत आराजी वादीगण के दादा प्रतिवादी संख्या 1 फूसाराम के नाम से विरास्तन व राजेन्द्र कुमार,प्रेम कुमार,महावीर पुत्रगण फूसाराम के नाम से बहिब 9.109 है.दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 फूसाराम के पिता गंगाराम के फौत होने पर विरास्तन रकबा चक नं. 6 एनटीडब्ल्यू के खाता संख्या 55/52,खाता संख्या 42/49,33/28 जमाबन्दी सम्वत् 2061–64,में दर्ज हुआ की प्रतियां पेश की है। मुताबिक जमाबन्दी रकबा पैतृक सम्पति है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने बाद में उक्त रकबा को अपने नाम से जरिये डिक्री राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा ली थी जिसकी प्रति भी पेश की है। वकील वादीगण ने चक नं. 6 एनटीडब्ल्यू के खाता संख्या 38/31 जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 प्रदर्श–1,विरास्तन जमाबन्दी चक नं. 6 एनटीडब्ल्यू खाता संख्या 55/52, 42/49, 33/28 जमाबन्दी सम्वत् 2061–64 क्रमशः प्रदर्श 2–3–4, वारिसनामा प्रतिवादी संख्या 1 फूसाराम प्रदर्श–5, राजेन्द्रकुमर प्रदर्श–6, प्रेम कुमार प्रदर्श–7,महावीर प्रदर्श–8 व राजीनामा प्रदर्श–9 करवाये गये। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य व प्रतिवादीगण संख्या 3–4–5 की पत्नीयों द्वारा सहमति के शपथ–पत्र से यह साबित है कि वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति है। वादीगण व प्रतिवादीगण का आपस में राजीनामा हो चुका है, आपस में राजीनामा होने के कारण व किसी प्रकार का विवाद नहीं होने से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की गई। उपर्युक्त विवेचनानुसार वाद वादीगण मुताबिक पैतृक सम्पति साक्ष्य सहमति के शपथ–पत्रों के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कि चक नं. 6 एनटीडब्ल्यू के खाता संख्या 38/31 जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 में प्रतिवादी संख्या 1 फूसाराम के नाम से दर्ज आराजी 2.277 है. प्रतिवादी संख्या 3 राजेन्द्र कुमार के नाम से 2.277 है.,प्रतिवादी संख्या 4 महावीर के नाम 2.277 है. तथा प्रतिवादी संख्या 5 प्रेम कुमार के नाम से भी 2.277 है. आराजी में से वादी संख्या 1 व 2 अजय कुमार व विजय कुमार 1.012 है.प्रत्येक यानि कुल 2.024 है. कृषि भूमि,वादी संख्या 3 आर्यन

को 1.518 है. कृषि भूमि व वादी संख्या 4 सुनील कुमार को 1.518 है. कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा प्रतिवादी संख्या 1 फूसाराम का नाम कलमजन, प्रतिवादी संख्या 3 राजेन्द्र कुमार का 1.265 है.प्रतिवादी संख्या 4 महावीर का 0.759 है.तथा प्रतिवादी संख्या 5 प्रेम कुमार का 0.759 है. हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम से आराजी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। पर्चा डिग्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक.....को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(माँगीलाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

2019 / 00171

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–माँगीलाल आर.ए.एस. (प्रशिक्षु)
प्रकरण संख्याः–133 / 2019

1. अजय कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति सुथार निवासी 6 एनटीडब्ल्यू नाथवाना तह. संगरिया।
2. विजय कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति सुथार नि. 6 एनटीडब्ल्यू नाथवाना तह. संगरिया।
3. आर्यन पुत्र महावीर प्रसाद जाति सुथार नि. 6 एनटीडब्ल्यू नाथवाना तहसील संगरिया।
4. सुनील कुमार पुत्र प्रेम कुमार जाति सुथार निवासी 6 एनटीडब्ल्यू नाथवाना तह.संगरिया।

–वादीगण

बनाम

1. फूसाराम पुत्र गंगाराम जाति सुथार निवासी 6 एनटीडब्ल्यू नाथवाना तहसील संगरिया।
2. सावित्री देवी पत्नी फूसाराम जाति सुथार निवासी 6 एनटीडब्ल्यू नाथवाना तहसील संगरिया।
3. राजेन्द्र कुमार पुत्र फूसाराम जाति सुथार निवासी 6 एनटीडब्ल्यू नाथवाना तहसील संगरिया।
4. महावीर पुत्र फूसाराम जाति सुथार निवासी 6 एनटीडब्ल्यू नाथवाना तहसील संगरिया।
5. प्रेम कुमार पुत्र फूसाराम जाति सुथार निवासी 6 एनटीडब्ल्यू नाथवाना तहसील संगरिया।
6. सुषमा पुत्री राजेन्द्र कुमार जाति सुथार निवासी 6 एनटीडब्ल्यू नाथवाना तहसील संगरिया।
7. ममता पत्नी ऋषभदेव जाति सुथार निवासी पण्डितांवाली तहसील पीलीबंगा।
8. सुमन पत्नी नरेन्द्र कुमार जाति सुथार निवासी वार्ड नं. 6 रावतसर तहसील रावतसर।
9. प्रियंका पत्नी सुशील कुमार जाति सुथार निवासी चोहिलांवाली तहसील हनुमानगढ़।
10. भारतीय स्टेट बैंक शाखा संगरिया जरिये शाखा प्रबन्धक
11. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

–प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ माँगीलाल आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री प्रेमचन्द भारद्वाज वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री विनोद कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चक नं. 6 एनटीडब्ल्यू के खाता संख्या 38 / 31 जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 में प्रतिवादी संख्या 1 फूसाराम के नाम से दर्ज आराजी 2.277 है. प्रतिवादी संख्या 3 राजेन्द्र कुमार के नाम से 2.277 है.,प्रतिवादी संख्या 4 महावीर के नाम 2.277 है. तथा प्रतिवादी संख्या 5 प्रेम कुमार के नाम से भी 2.277 है. आराजी में से वादी संख्या 1 व 2 अजय कुमार व विजय कुमार 1.012 है. प्रत्येक यानि कुल 2.024 है. कृषि भूमि,वादी संख्या 3 आर्यन को 1.518 है. कृषि भूमि व वादी संख्या 4 सुनील कुमार को 1.518 है. कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा प्रतिवादी संख्या 1 फूसाराम का नाम कलमजन, प्रतिवादी संख्या 3 राजेन्द्र कुमार का 1.265 है. प्रतिवादी संख्या 4 महावीर का 0.759 है.तथा प्रतिवादी संख्या 5 प्रेम कुमार का 0.759 है. हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम से आराजी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....को जारी किया गया।

(माँगीलाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

2019 / 00543

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः—404 / 2019
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः—88 आरटीए

1. शीशपाल पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया।
2. राजपाल पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया।

—वादीगण

बनाम

1. हरीराम पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया।
2. रामी पत्नी हरीराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया।
3. सुमन पुत्री हरीराम पत्नी कुलदीप कुमार जाति जाट निवासी रासूवाला तहसील संगरिया।
4. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1. श्री औमप्रकाश शर्मा — वकील वादी
2. श्री राजकुमार स्वामी—अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 3

निर्णय दिनांक :—

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण का पिता व प्रतिवादीया संख्या 2 वादीगण की माता एवं प्रतिवादीया संख्या 3 वादीगण की सगी बहिन है,वादीगण के पिता यानि प्रतिवादी संख्या 1 हरीराम के नाम से तहसील संगरिया के चक नं. 2 डीएलपी के खाता संख्या 143 / 123 में प.नं. 173 / 190 मु.नं. 28 कि.नं. 13—14—17 से 19 / 1.265 है.,प.नं. 172 / 191 मु.नं. 30 कि.नं. 4 से 7 व 14 से 17, 24, 25 / 2.480 एवं गैर मुमकिन रास्ता—0.051 इस प्रकार कुल क्षैत्रफल 3.796 है. नहरी / बारानी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी हमराह दावा है।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एक ही कुटुम्ब समुदाय के व्यक्ति है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम उक्त विवादित भूमि हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की विरास्तन जद्दी जायदाद है तथा विरास्तन भूमि में हम वादीगण का जन्मजात हक व हिस्सा बनता है जिसे वादीगण घोषित कराने का मुश्तहक एवं दावेदार है।

वादपत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित समस्त सम्पति हम वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की जद्दी जायदाद है जिसमें प्रतिवादीया संख्या 2 व 3 किसी प्रकार से हिस्सा नहीं लेना चाहती है उन्होने अपना—अपना हिस्सा हम वादीगण के पक्ष में बहिब छोड़ दिया है, जिसे वादीगण घोषित करा अपने नाम कराने का मुश्तहक एवं दावेदार है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 का घरू विभाजन हो चुका है मुताबिक घरू विभाजन में उक्त वर्णित समस्त सम्पति चक नं. 2 डीएलपी के खाता संख्या 143 / 123 में प.नं. 173 / 190 मु. नं. 28 कि.नं. 13—14—17 से 19 / 1.265 है.,प.नं. 172 / 191 मु.नं. 30 कि.नं. 4 से 7 व 14 से 17, 24, 25 / 2.480 एवं गैर मुमकिन रास्ता—0.051 इस प्रकार कुल क्षैत्रफल 3.796 है. नहरी / बारानी कृषि भूमि हम वादीगण को बहिब प्राप्त हो चुकी है जिसका कब्जा भी हम वादीगण के पास है। अतः वादीगण उक्त भूमि के बहिब खातेदार काश्तकार हो चुके है इसी अमर की घोषणात्मक डिक्री पाने के वादीगण अधिकारी एवं दावेदार है।

वादपत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित भूमि राजस्व रिकार्ड में अभी तक प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चली आ रही है। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने से वादीगण बैंक लिमिट व किसान क्रेडिट कार्ड बनाने में असमर्थ है, इससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, इस कारण वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से कहा कि वे वादीगण को दावा की दफा 3 में वर्णित कुल भूमि का जन्मजात एवं मुताबिक घरू विभाजन वादीगण को दी गई भूमि का खातेदार काश्तकार मानकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व रिकार्ड में बहिब दर्ज करा देवें तो प्रतिवादी ने ऐसा करने से दावा दायरी से एक सप्ताह पूर्व कतई तौर पर इन्कार कर दिया बस यही वाद कारण है।

उक्त दावा पेश होने पर तथा सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने वादीगण के साथ अपना राजीनामा पेश किया जिसके साथ अपनी–अपनी आईडी की स्वहस्ताक्षरित चित्र प्रतियां पेश की है। मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किये जाने में सहमति व्यक्त की। पैरोकार राज की ओर से जवाब स्टेट पेश हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील वादीगण ने फार्म नं. 3 के साथ सरपंच ग्राम पंचायत रतनपुरा से जारी वारिसनामा मूल ही पेश किया है साथ में पैतृक सम्पति का साक्ष्य चक नं. 2 डीएलपी के खाता संख्या 63 प्रतिवादी संख्या 1 हरीराम के पिता सहीराम पुत्र मोतीराम के नाम की नामान्तरण की फोटो प्रति पेश की है। मुताबिक नामान्तरण प्रति प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता से जरिये वसीयत उक्त वर्णित आराजी प्राप्त हुई है। नामान्तरण प्रति, वारिसनामा प्रति शामिल मिसल की गई।

बहस वकील विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। बहस में विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि सरपंच ग्राम रतनपुरा से जारी वारिसनामा अनुसार दावा में पक्षकार संयोजित किये गये है। साथ में यह कथन भी किया कि वादगत आराजी प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीगण का पिता है को उनके पिता सहीराम पुत्र मोतीराम से जरिये वसीयत प्राप्त हुई जिसके नामान्तरण की प्रति पेश की है। उक्त वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित है जिसमें वादीगण का विरास्तन हक व हिस्सा बनता है। उक्त चक नं. 2 डीएलपी की आराजी वादीगण अपने–अपने नाम से बहिब करवाना चाहते है। वादगत आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस विद्वान अधिवक्ता पर मनन किया व दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। वादपत्र में वर्णित पक्षकार सरपंच ग्राम पंचायत रतनपुरा से जारी वारिसनामा के आधार पर संयोजित किये है तथा पक्षकारों में आपस में राजीनामा हो गया है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने अपना–अपना हिस्सा वादीगण के पक्ष में तर्क कर दिया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादगत आराजी वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 हरीराम के नाम से चक नं. 2 डीएलपी के खाता संख्या 143/123 में कुल 3.796 है. नहरी/बारानी दर्ज है,उक्त आराजी के पैतृक सम्पति का साक्ष्य चक नं. 2 डीएलपी के खाता संख्या 63/58 जमाबन्दी सम्वत् 2051 सहीराम पुत्र मोतीराम के नाम की व नामान्तरण संख्या 63 की प्रति सहीराम पुत्र मोतीराम के नाम की है जिसमें वर्णित रकबा जरिये वसीयतनामा प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है को प्राप्त हुई है, उक्त नामान्तरण से यह साबित है कि वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति है। पक्षकारों का आपस में राजीनामा हो चुका है, आपस में राजीनामा होने के कारण व किसी प्रकार का विवाद नहीं होने से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की गई। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादीगण मुताबिक पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक नं.2 डीएलपी के खाता संख्या 143/123 में प.नं. 173/190 मु.नं. 28 कि.नं. 13–14–17 से 19/1.265 है.,प.नं. 172/191 मु.नं. 30 कि.नं. 4 से 7 व 14 से 17, 24,25/2.480 एवं गैर मुमकिन रास्ता–0.051 इस प्रकार कुल क्षैत्रफल 3.796 है.नहरी/बारानी मय गैर मुमकिन कृषि भूमि का वादीगण को बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त खाता में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम

कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम से बहिब दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। पर्चा डिग्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक.....को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

2019/00543

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–404/2019

1. शीशपाल पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया।
2. राजपाल पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया।

–वादीगण

बनाम

1. हरीराम पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया।
2. रामी पत्नी हरीराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया।
3. सुमन पुत्री हरीराम पत्नी कुलदीप कुमार जाति जाट निवासी रासूवाला तहसील संगरिया।
4. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया। –प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री औमप्रकाश शर्मा वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री राजकुमार स्वामी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक नं. 2 डीएलपी के खाता संख्या 143/123 में प.नं. 173/190 मु.नं. 28 कि.नं. 13–14–17 से 19/1.265 है.,प.नं. 172/191 मु.नं. 30 कि.नं. 4 से 7 व 14 से 17, 24,25/2.480 एवं गैर मुमकिन रास्ता–0.051 इस प्रकार कुल क्षैत्रफल 3.796 है.नहरी/बारानी मय गैर मुमकिन कृषि भूमि का वादीगण को बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त खाता में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम से बहिब दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

2019ध्00345

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–300/2019
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः–88 आरटीए

1. जगसीरसिंह पुत्र हमीरसिंह जाति छिम्पा निवासी वार्ड नं. 17 जवाहर कॉलोनी चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)।
2. गुरभेजसिंह पुत्र हमीरसिंह जाति छिम्पा निवासी वार्ड नं. 17 जवाहर कॉलोनी चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)। **–वादीगण**

बनाम

1. हमीरसिंह पुत्र थमनसिंह जाति छिम्पा निवासी वार्ड नं. 17 जवाहर कॉलोनी चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)।
2. प्रेमजीतकौर पत्नी हमीरसिंह जाति छिम्पा निवासी वार्ड नं. 17 जवाहर कॉलोनी चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)।
3. जसवीर कौर पुत्री हमीरसिंह पत्नी करनैलसिंह जाति छिम्पा निवासी जवाहर कॉलोनी चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)।
4. कर्मजीतकौर पुत्री श्री हमीरसिंह पत्नी मनप्रीतसिंह जाति छिम्पा निवासी वार्ड नंत्र 5 टीना फ्लोर वाली गली,पुरानी आबादी श्री गंगानगर तहसील व जिला श्री गंगानगर।

5. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया। —प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1. श्री महेन्द्र सिंह भादू — वकील वादी
2. श्री अमरसिंह मण्डोरा—अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 4

निर्णय दिनांक :—

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक कृषि भूमि चक नं. 7 केएसडी पटवार हल्का मालारामपुरा के खाता संख्या 28/28 खाता जंगीरसिंह आदि जमाबन्दी सम्वत् 2069—72 में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 हमीरसिंह के नाम से 1.265 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि है जो वादीगण के दादा से विरास्तन मिली हुई है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का जन्म से हक व हिस्सा बनता है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण हिन्दू विधि से शास्ति है तथा वादीगण के पिता संयुक्त हिन्दू के परिवार के सदस्य होने के कारण उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में उनके नाम से धारित है। राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न वादपत्र है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण अब संयुक्त हिन्दू परिवार से अलग हो गये है तथा अपने संयुक्त हिन्दू परिवार की स्थायी व नकद सम्पतियों का आपस में विभाजन कर लिया है जिसमें वादीगण के हक व हिस्सा में वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि चक नं. 7 केएसडी के खाता संख्या 28/28 खाता जंगीरसिंह आदि की 1.265 है. भूमि आई हुई है जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से है। तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने अपने हक व हिस्सा में मौजा जवाहर कॉलोनी वार्ड नं. 7 चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा में दो रिहायशी भूखखण्ड आये हुए है जिसमें मकानात बने हुए है तथा जिनसे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को अच्छा किराया मिल रहा है जो संयुक्त परिवार की हैसियत से अर्जित है व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से है। उक्त हिरायशी भूखण्डों के बैयनामों की चित्रप्रतियां संलग्न वादपत्र है।

प्रतिवादी संख्या 2 व 3 वादीगण की सगी बहिनें है व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पुत्रियां है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने उनकी शादी अच्छे घरों व परिवारों में की है तथा उन्हे समय पर भेंट उपहार देकर सम्मान देते है जिससे खुश होकर प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने अपनी उक्त पैतृक सम्पति में से अपने हक व हिस्सा को नहीं लेकर हमेशा के लिए वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर दिया है तथा प्रतिवादीया संख्या 2 वादीगण की माता है जो प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सुखपूर्वक निवास कर रही है। प्रतिवादीया संख्या 2 को उक्त विभाजन से कोई विरोध नहीं है।

वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि काफी समय से वादीगण के कब्जाकाश्त में है तथा उक्त दोनो संयुक्त रूप से तथा बिना कोई विवाद के उक्त कृषि भूमि से फसल उत्पादन करके अपना जीवनयापन कर रहे है लेकिन राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम होने से वादीगण को पानी की बारी अपने नाम से करवाने,कृषि ऋण लेने,फसल बीमा करवाने आदि को लेकर भारी परेशानी व असुविधा हो रही है इसलिए वादीगण को कई बार प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 से उनके हक व हिस्सा की कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित करवा कर राजस्व रिकार्ड में उनके नाम से दर्ज करवाने के लिए निवेदन किया लेकिन पहले तो प्रतिवादीगण वाद में करवाने का कहकर टालते रहे परन्तु दावा दायरी से 2 दिन पूर्व उन्होने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। बस यही वाद कारण है।

वादीगण अपने हक व हिस्सा के रकबा पर काफी समय से निर्विवाद रूप से काबिज है लेकिन राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि उनके नाम दर्ज नहीं होने से उन्हे आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन वादीगण के पक्ष में बनता है।

उक्त दावा पेश होने पर तथा सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने वादीगण के साथ अपना राजीनामा पेश किया जिसके साथ अपनी—अपनी आईडी की स्वहस्ताक्षरित चित्र प्रतियां पेश

की है। मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किये जाने में सहमति व्यक्त की। पैरोकार राज की ओर से जवाब स्टेट पेश हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील वादीगण ने सरपंच ग्राम पंचायत चौटाला से जारी वारिसनामा मूल ही पेश किया है, साथ में पैतृक सम्पति का साक्ष्य चक नं. 7 केएसडी के खाता संख्या 16/19 प्रतिवादी संख्या 1 हमीरसिंह के पिता थमनसिंह पुत्र जुहारासिंह के नाम की जमाबन्दी सम्वत् 2016 की प्रमाणित प्रति पेश की है। मुताबिक जमाबन्दी उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जो वादीगण के पिता को प्राप्त हुई है। वकील वादी ने साक्ष्य वादी में वादी गुरभेजसिंह का शपथ–पत्र अर्न्तगत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया दस्तावेज जमाबन्दी चक नं. 7 केएसडी के खाता संख्या 28/28 जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 प्रदर्श–1, पैतृक सम्पति का साक्ष्य चक नं. 7 केएसडी के खाता संख्या 16/19 प्रतिवादी संख्या 1 हमीरसिंह के पिता थमनसिंह पुत्र जुहारासिंह के नाम की जमाबन्दी सम्वत् 2016 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–2, सरपंच ग्राम पंचायत चौटाला से जारी वारिसनामा प्रदर्श–3,रिहायशी मकान हमीरसिंह क्रमशः प्रदर्श–3 ए व 4 ए करवाये गये। प्रस्तुत जमाबन्दीयां व वारिसनामा शामिल मिसल की गई।

बहस वकील विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। बहस में विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि सरपंच ग्राम चौटाला से जारी वारिसनामा अनुसार दावा में पक्षकार संयोजित किये गये है। साथ में यह कथन भी किया कि वादगत आराजी प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीगण का पिता है को उनके पिता थमनसिंह पुत्र जुहारासिंह से प्राप्त हुई जिसकी चक नं. 7 केएसडी के खाता संख्या 16/19 थमनसिंह पुत्र जुहारासिंह के नाम की जमाबन्दी सम्वत् 2016 की प्रमाणित प्रति पेश की है। उक्त वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित है जिसमें वादीगण का विरास्तन हक व हिस्सा बनता है। उक्त चक नं. 7 केएसडी की आराजी वादीगण अपने–अपने नाम से बहिब करवाना चाहते है। वादगत आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस विद्वान अधिवक्ता पर मनन किया व दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। वादपत्र में वर्णित पक्षकार सरपंच ग्राम पंचायत चौटाला से जारी वारिसनामा के आधार पर संयोजित किये है तथा पक्षकारों में आपस में राजीनामा हो गया है। प्रतिवादी संख्या 2–3–4 ने अपना–अपना हिस्सा वादीगण के पक्ष में तर्क कर दिया है तथा जो रिहायशी प्लाट प्रतिवादी संख्या 1 नाम से है भरण–पोषण हेतु वे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पास ही रहेंगे। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादगत आराजी वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 हमीरसिंह के नाम से चक नं. 7 केएसडी पटवार हल्का मालारामपुरा के खाता संख्या 28/28 खाता जंगीरसिंह आदि जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 हमीरसिंह के नाम से 1.265 है. कृषि भूमि का पैतृक सम्पति का साक्ष्य चक नं. 7 केएसडी के खाता संख्या 16/19 प्रतिवादी संख्या 1 हमीरसिंह के पिता थमनसिंह पुत्र जुहारासिंह के नाम की जमाबन्दी सम्वत् 2016 की प्रमाणित प्रति पेश की है तथा जमाबन्दी चक नं. 7 केएसडी के खाता संख्या 28/28 जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 प्रदर्श–1, पैतृक सम्पति का साक्ष्य चक नं. 7 केएसडी के खाता संख्या 16/19 प्रतिवादी संख्या 1 हमीरसिंह के पिता थमनसिंह पुत्र जुहारासिंह के नाम की जमाबन्दी सम्वत् 2016 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–2, सरपंच ग्राम पंचायत चौटाला से जारी वारिसनामा प्रदर्श–3,रिहायशी मकान हमीरसिंह क्रमशः प्रदर्श–3 ए व 4 ए करवाये गये है जिससे यह साबित है कि वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति है। पक्षकारों का आपस में राजीनामा हो चुका है, आपस में राजीनामा होने के कारण व किसी प्रकार का विवाद नहीं होने से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की गई। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादीगण मुताबिक पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 हमीरसिंह के नाम से चक नं. 7 केएसडी पटवार हल्का मालारामपुरा के खाता संख्या 28/28 खाता जंगीरसिंह आदि जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 हमीरसिंह के नाम से 1.265 है. कृषि भूमि का वादीगण को बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त खाता में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में

वादीगण के नाम से बहिब दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। पर्चा डिग्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक.....को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

2019 / 00345

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–300 / 2019

1. जगसीरसिंह पुत्र हमीरसिंह जाति छिम्पा निवासी वार्ड नं. 17 जवाहर कॉलोनी चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)।
2. गुरभेजसिंह पुत्र हमीरसिंह जाति छिम्पा निवासी वार्ड नं. 17 जवाहर कॉलोनी चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)। **–वादीगण**

बनाम

1. हमीरसिंह पुत्र थमनसिंह जाति छिम्पा निवासी वार्ड नं. 17 जवाहर कॉलोनी चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)।
2. प्रेमजीतकौर पत्नी हमीरसिंह जाति छिम्पा निवासी वार्ड नं. 17 जवाहर कॉलोनी चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)।
3. जसवीर कौर पुत्री हमीरसिंह पत्नी करनैलसिंह जाति छिम्पा निवासी जवाहर कॉलोनी चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)।
4. कर्मजीतकौर पुत्री श्री हमीरसिंह पत्नी मनप्रीतसिंह जाति छिम्पा निवासी वार्ड नंत्र 5 टीना फ्लोर वाली गली,पुरानी आबादी श्री गंगानगर तहसील व जिला श्री गंगानगर।
5. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया। –प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री महेन्द्र सिंह भादू वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री अमरसिंह मण्डोरा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री

दी जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 हमीरसिंह के नाम से चक नं.7 केएसडी पटवार हल्का मालारामपुरा के खाता संख्या 28/28 खाता जंगीरसिंह आदि जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 हमीरसिंह के नाम से 1.265 है. कृषि भूमि का वादीगण को बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त खाता में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम से बहिब दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

प्रार्थना –पत्र,

बअदालत सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया।

विषयः– प्रकरण संख्या 406/2019 नरेन्द्र कुमार बनाम कालूराम आदि का मुताबिक राजीनामा निर्णय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन है कि उक्त विषयक प्रकरण में हमारा आपस में राजीनामा हो गया है जिसमें आज की तारीख पेशी 26.12.2019 मुकर्र है। मुताबिक राजीनामा हमारे प्रकरण का निर्णय करवाना चाहते है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि हमारी पत्रावली को आज पेशी में लिया जाकर मुताबिक राजीनामा प्रकरण का निस्तारण करने की कृपा करें श्रीमानजी की अति कृपा होगी।

प्रार्थी

नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री कालूराम
जाति जाट निवासी रतनपुरा
तहसील संगरिया

प्रार्थना –पत्र,

बअदालत सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया।

विषयः– प्रकरण संख्या 404/2019 शीशपाल बनाम हरीराम आदि का मुताबिक राजीनामा निर्णय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन है कि उक्त विषयक प्रकरण में हमारा आपस में राजीनामा हो गया है जिसमें आज की तारीख पेशी 26.12.2019 मुकर्र है। मुताबिक राजीनामा हमारे प्रकरण का निर्णय करवाना चाहते है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि हमारी पत्रावली को आज पेशी में लिया जाकर मुताबिक राजीनामा प्रकरण का निस्तारण करने की कृपा करें श्रीमानजी की अति कृपा होगी।

प्रार्थी

शीशपाल पुत्र श्री हरीराम

जाति जाट निवासी रतनपुरा

तहसील संगरिया